

Haryana Government

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes

Last Date: 04 November, 2019

Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Sanshodhit Yojna- 2019-20

1. Online applications are invited under Dr. Ambedkar Medhavi Chhattar Sanshodhit Yojna for the year 2019-20 from SCHEDULED CASTES, VIMUKT JATI, DNTs, TAPRIWAS, & BACKWARD CLASSES (BLOCK 'A' AND 'B') students whose annual family income does not exceed Rs. 4.00 lacs.
2. Students can apply for application form on website www.scbcharyana.com.
3. Students can apply from 05.09.2019 to 04.11.2019 and the department will ensure to issue your incentive amount immediately.
4. In case of any problem student can contact on helpline numbers 0172-2771250, 6283048700 & 6283022202 and District Welfare Officer of the district concern.

Director,
Welfare of Scheduled Castes and Backward
Classes Department, Haryana Chandigarh.

हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

अन्तिम तिथि- 04-11-2019

डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना – 2019-20

- 1- अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु व टपरीवास जातियों के छात्रों से डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो वर्ष 2019-20 के लिये ऑन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- 2- छात्र विभागीय वेबसाईट www.scbcharyana.com पर जाकर आवेदन करें।
- 3- छात्र दिनांक 05.09.2019 से 04.11.2019 तक आवेदन करे ताकि विभाग जल्द से जल्द आपको प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सके।
- 4- किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में हैल्पलाईन नं0 0172-2771250, 6283048700 तथा 6283022202 पर अथवा सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु व टपरीवास जातियों के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रोत्साहित करने हेतु डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना परिपालित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत छात्रों को जो परीक्षा में प्रकृष्ट उपलब्धि प्राप्त करते हैं प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाता है ताकि उनका मनोबल और बढ़े और वे शिक्षा के क्षेत्र में नई उचाईयों प्राप्त कर सकें ।

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में आवेदन करने के लिये कक्षा अनुसार प्राप्त अंको व प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क) अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु व टपरीवास जातियों के छात्रों के लिए

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आवेदन पत्र देने की आधार परीक्षा की पास कक्षा में प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	70	60	11वीं / 10+1 तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000 / -
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1) आर्ट्स 2) कामर्स / साईंस तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेटस कोर्सिज 3) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी / व्यवसायिक कोर्सिज 4) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	8000 / - 8000 / - 9000 / - 10000 / -
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1) आर्ट्स / कामर्स / साईंस 2) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी / व्यवसायिक कोर्सिज 3) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	9000 / - 11000 / - 12000 / -

ख) पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए के छात्रों के लिए

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आवेदन पत्र देने की आधार परीक्षा की पास कक्षा में प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	70	60	11वीं / 10+1 तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000 / -

ग) पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी के छात्रों के लिए

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आवेदन पत्र देने की आधार परीक्षा की पास कक्षा में प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	80	75	11वीं / 10+1 तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000 / -

4-छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्त:-

1. छात्र हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति / पिछड़े वर्ग / विमुक्त जाति, घुमन्तु, अर्धघुमन्तु व टपरीवास जातियों से सम्बन्धित होना चाहिए।
2. छात्र की सभी साधनों से वार्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक ना हो।
3. प्रोत्साहन राशि तालिका में वर्णित कक्षाओं में सभी स्ट्रीमज में आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जायेगी।
4. प्रोत्साहन राशि सभी सरकारी / गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान की जाएगी।
5. यह मैरिट आधारित स्कीम है। इसलिए जो छात्र इन वर्गों के छात्रों हेतु चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं वे छात्र इस स्कीम के अन्तर्गत भी प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र होंगे, बशर्ते मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो।

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

जिला कल्याण अधिकारी,					
अम्बाला	0171-2536450	जींद	01681-245132	पंचकूला	0172-2583378
भिवानी	01664-242629	कैथल	01746-234637	पानीपत	0180-2658065
फतेहाबाद	01667-230169	करनाल	0184-2266093	रिवाड़ी	01274-260758
फरीदाबाद	0129-2285175	कुरुक्षेत्र	01744-220459	रोहतक	01262-269842
गुडगाँवा	0124-2305415	नारनौल	01282-250271	सिरसा	01666-248891
हिसार	01662-283360	मेवात	01267-274679	सोनीपत	0130-220732
झज्जर	01251-254779	पलवल	01275-248056	यमुनानगर	01732-237859
				चरखी दादरी	01250-220322